

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2, गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.
(समक्ष : पंकज शर्मा)

व्य. वाद क्रमांक :- 600059-ए/14

संस्थित दिनांक :- 25/05/2012

मृत वादी सरमन लाल पुत्र श्री ओमकार प्रसाद द्वारा वैध प्रतिनिधि :-

01. श्रीमती सरवती बाई पत्नी सरमन लाल, उम्र 50 वर्ष।
 02. राजीव पुत्र सरमन लाल।
 03. आकाश पुत्र सरमन लाल।
- निवासीगण : वार्ड क्रमांक 02 बिहारी नगर पंचमपुरा गोहद,
तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

----- वादीगण

विरुद्ध

01. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जिला-कलेक्टर भिण्ड।
02. अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद, जिला-भिण्ड।
03. तहसीलदार गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

----- प्रतिवादीगण

// निर्णय //

{आज दिनांक :- 21/12/2017 को घोषित किया}

(01). मृत वादी सरमनलाल द्वारा यह वाद सर्वे क्रमांक 698/01 स्थित बिहारी नगर पंचमपुरा वार्ड क्रमांक 02 गोहद स्थित वादग्रस्त भू-खण्ड 47 गुणा 30 अर्थात् 1410 वर्गफुट पर स्थित भवन, के संदर्भ में स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा, प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भवन को दिनांक : 26/05/2012 को तोड़ दिये जाने से हुई अपहानि के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने एवं न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 393/10-11/अ-68 में पारित आदेश दिनांक : 31/10/2011, निष्कासन आदेश दिनांक : 12/04/2012, सीमांकन रिपोर्ट दिनांक : 26/04/2012 एवं 10/05/2012 को शून्य घोषित कराये जाने के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है। उक्त भू-खण्ड को निर्णय के आगे की कंडिकाओं में वादग्रस्त भू-खण्ड नाम से सम्बोधित किया गया है।

(02). प्रकरण में कोई सारवान स्वीकृत तथ्य नहीं है।

(03). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भू-खण्ड वादी द्वारा विक्रेता जबर सिंह पुत्र तुलसीराम से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक : 25/04/1996 के माध्यम से क्रय किया गया

था। तत्पश्चात् कयशुदा भूमि का व्यपवर्तन प्रकरण क्रमांक 174/1996-97 × 59 के माध्यम से कराया गया और नगर पालिका गोहद के प्रकरण क्रमांक 13/98 × 03/11 के माध्यम से उक्त भूमि पर वादी का नामांतरण किया गया। तत्पश्चात् नगर पालिका गोहद से प्रकरण क्रमांक 08/99 × 03/03 के माध्यम से विधिवत् अनुमति प्राप्त की गई। भवन निर्माण हेतु वादी द्वारा चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है। वादग्रस्त भू-खण्ड पर बना भवन 47 फुट लम्बा एवं 30 फुट चौड़ा है, जिसके पूर्व में सर्वे क्रमांक 698 एवं पश्चिम में सर्वे क्रमांक 698, उत्तर दिशा में सर्वे क्रमांक 697, दक्षिण दिशा में सर्वे क्रमांक 698 स्थित है। वादग्रस्त भू-खण्ड सर्वे क्रमांक 698/01 का भाग है, जिसका वादी एकमात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। तहसीलदार गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/07-08/अ-68 में दिनांक : 31/03/2008 को अवैध रूप से वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया, जिसके विरुद्ध वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 1690/2008 प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक : 10/11/2009 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को आदेशित किया गया कि वह वादी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर सर्वे क्रमांक 697 एवं 698 का सीमांकन करें, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा वादी को सूचना देकर सर्वे क्रमांक 697 एवं 698 का कोई सीमांकन नहीं किया गया। न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 393/2010-11/अ-68 में अन्तिम आदेश दिनांक : 31/10/2011 पारित करने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अट्ठेलना से बचने के लिए प्रकरण में कोई भी आदेश पारित किये बिना पृथक से एक आदेश दिनांक : 24/04/2012 बनाकर दिनांक : 25/04/2012 तक केवल सर्वे क्रमांक 697 का सीमांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश बनाया और षडयंत्रपूर्वक तैयार की गई असत्य सीमांकन रिपोर्ट दिनांक : 24/04/2012 प्राप्त कर अन्तिम आदेश के बाद प्रकरण में संलग्न कर दी। जबकि उक्त प्रकरण में दिनांक : 24/04/2012 की कोई पेशी नियत नहीं थी। सीमांकन दिनांक : 25/04/2012 के संबंध में तहसीलदार गोहद या राजस्व निरीक्षक दल ने वादी को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी और ना ही वादी की उपस्थिति में कोई सीमांकन किया।

(04). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के शेष अभिवचन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि उक्त अवैध सीमांकन की जानकारी प्राप्त होने पर वादी द्वारा इस वावत् न्यायालय कलेक्टर भिण्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 06/12-13/नि.मा. प्रस्तुत की गई, जो अभी लम्बित हैं, इसलिए सीमांकन रिपोर्ट दिनांक : 24/04/2012 अभी अन्तिम नहीं है और वादी के विरुद्ध प्रभावहीन होकर बंधनकारी नहीं है। शासन ने गलत सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर वादी के वादग्रस्त भू-खण्ड में स्थित भवन का वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स एवं द से चिह्नित भाग गलत तौर से सर्वे क्रमांक 697 में स्थित होना मानकर वाद-प्रस्तुति के पश्चात् दिनांक :- 26/05/2012

को अवैध रूप से तोड़ दिया, जिससे वादी को 02 लाख 35 हजार रुपये का नुकसान हुआ। वादी द्वारा सर्वे क्रमांक 698 स्थित उसके वादग्रस्त भवन एवं भू-खण्ड की स्थिति जानने के लिए तहसीलदार गोहद के समक्ष प्रकरण क्रमांक 14/12-13/अ-12 प्रस्तुत कर सीमांकन का निवेदन किया। तहसीलदार गोहद से सीमांकन के लिए अधीक्षक भू-अभिलेख एवं उनकी टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा किये गये सीमांकन में वादी का प्रतिवादीगण द्वारा तोड़ा गया सम्पूर्ण भवन सर्वे क्रमांक 698 के भीतर बना हुआ पाया गया, ना कि सर्वे क्रमांक 697 के अन्दर। इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 03 तहसीलदार गोहद द्वारा वादग्रस्त भवन एवं भू-खण्ड से वादी को बेदखल करने का आदेश, कारावास भेजने का आदेश एवं सीमांकन रिपोर्ट दिनांक : 26/04/2012 एवं 10/05/2012 अवैध है और वादी के विरुद्ध प्रभावहीन है। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी को सर्वे क्रमांक 698/01 स्थित बिहारी नगर पंचमपुरा वार्ड क्रमांक 02 गोहद स्थित वादग्रस्त भू-खण्ड 47 गुणा 30 अर्थात् 1410 वर्गफुट पर स्थित प्रतिवादीगण द्वारा तोड़े गये भवन का स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जाये, न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 393/10-11/अ-68 में पारित आदेश दिनांक : 31/10/2011, निष्कासन आदेश दिनांक : 12/04/2012, सीमांकन रिपोर्ट दिनांक : 26/04/2012 एवं 10/05/2012 को शून्य घोषित किया जाये एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भवन को दिनांक : 26/05/2012 को तोड़ दिये जाने से वादी को हुई 02 लाख 35 हजार रुपये की अपहानि की राशि प्रतिवादीगण से मय ब्याज दिलाई जाये।

(05). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के समस्त अभिवचनों को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा वादोत्तर में किये गये अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा सीमांकन के समय उपस्थित होते हुये भी जान-बूझकर सीमांकन पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। शासन द्वारा प्रकरण क्रमांक 393/10-11/अ-68 में पारित आदेश दिनांक : 12/04/2012 में वादी को बेदखली का नोटिस सही रूप से दिया गया था, जो कि स्वयं वादी पर तामील किया गया था। तत्पश्चात् वादी प्रकरण की कार्यवाही में दिनांक : 19/04/2012 को उपस्थित नहीं हुआ, बल्कि दिनांक : 23/04/2012 को वादी ने उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2901/12 में पारित आदेश दिनांक : 20/04/2012 की छायाप्रति पेश की, जिसकी कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक : 15/05/2012 को समाप्त कर दी गई, जिसका उल्लेख अपर तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक : 21/05/2012 में किया गया। वादी का भवन सर्वे क्रमांक 698 में निर्मित ना होकर शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 697 में अतिक्रमण कर बना लिया गया था और उक्त अतिक्रमण से वादी को बेदखल करने के लिए प्रतिवादी क्रमांक 03 तहसीलदार गोहद द्वारा सही प्रक्रिया का अनुशरण करते हुये सर्वे क्रमांक 697 को अतिक्रमण मुक्त कर न्यायालय भवन के लिए सुरक्षित किया गया। दिनांक :

12/04/2012 का आदेश पूर्णतः विधिपूर्ण है। प्रकरण क्रमांक 393/10-11/अ-68 में वादी को विधिवत् सूचना दी गई थी, जिसमें वादी के सूचना उपरान्त भी उपस्थित ना होने के कारण आदेश पारित किया गया था। फलतः उपरोक्तानुसार वादी का वाद सब्यय निरस्त किया जाये।

(06). प्रतिवादी क्रमांक 01 म.प्र.राज्य की ओर से कोई अधिवक्ता समन की सम्यक तामील होने के पश्चात् भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है इसलिये उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

(07). उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक : 01/02/2017 को वाद-प्रश्न विरचित किये गये, जो कि निम्नलिखित हैं, जिनके समक्ष विवचेना के उपरान्त निष्कर्ष अंकित किए गये हैं :-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या मृत वादी सरमनलाल सर्वे क्रमांक 698/01 स्थित बिहारी नगर पंचमपुरा वार्ड क्रमांक 02 गोहद स्थित वादग्रस्त भू-खण्ड 47 गुणा 30 अर्थात् 1410 वर्गफुट पर स्थित भवन का स्वामी एवं आधिपत्यधारी था?	“प्रमाणित”
02.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक : 26/05/2012 को उक्त वादग्रस्त भवन अनाधिकृत एवं अवैध रूप से तोड़ दिया गया?	“प्रमाणित”
03.	क्या उक्त वादग्रस्त भवन तोड़े जाने से वादी को 02 लाख 35 हजार रुपये की क्षति कारित हुई?	“प्रमाणित”
04.	क्या राजस्व न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रं. 393/10-11/अ-68 में पारित आदेश दिनांक 31/10/11, निष्कासन आदेश दिनांक 12/04/12, सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 26/04/2012 एवं 10/05/2012 अवैध होने के कारण शून्य है?	“प्रमाणित”
05.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भवन को तोड़कर वादग्रस्त भवन में निहित वादी के विधिक अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप कारित किया गया?	“प्रमाणित”
06.	क्या वादी द्वारा वाद का समुचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है?	“मूल्यांकन पर्याप्त न्यायशुल्क अपर्याप्त”

07. क्या वादी द्वारा कब्जा वापिसी का अनुतोष "अप्रमाणित"
ना चाहे जाने के कारण उसका वाद
धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम
के प्रावधानों के कारण अप्रचलनीय है?
08. अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय? वाद निर्णय के पद क्रं. 20 के
अनुसार प्रमाणित पाये जाने
के कारण आज्ञाप्त किया गया।

// निष्कर्ष एवं आधार //

वाद प्रश्न क्रमांक : 01

(08). वाद प्रश्नों के संदर्भ में मृत वादी सरमनलाल के विधिक प्रतिनिधि आकाश वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। साक्षी सुरेश सिंह गुर्जर वा.सा.02 ने वादी के अभिवचनों के अनुरूप उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये है। वादी ने उसके वाद के समर्थन में नोटिस धारा 80 सीपीसी प्र.पी.01, नोटिस की रजिस्टर्ड डाक की रसीद प्र.पी.02, विक्रेता जबर सिंह द्वारा उसके पिता सरमन लाल के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक : 25/04/1196 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03, न्यायालय तहसीलदार गोहद द्वारा उसके पिता सरमन लाल को दिनांक : 10/10/2011 को उपस्थित होने के लिए प्रेषित नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.04, बेदखली नोटिस दिनांक : 12/04/2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.05, पटवारी एस कोरकू द्वारा तहसीलदार गोहद को अतिक्रमण के संबंध में प्रेषित रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.06, पटवारी एस कोरकू द्वारा तहसीलदार गोहद को भूमि सर्वे क्रमांक 697 पर सरमन लाल द्वारा अतिक्रमण किये जाने के संबंध में प्रेषित रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.07, सरमन लाल द्वारा तहसीलदार गोहद को प्रेषित पत्र दिनांक : 20/04/2012 की प्रति प्र.पी.08, सरमन लाल द्वारा तहसीलदार गोहद के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक : 25/04/2012 की मूलप्रति प्र.पी.09, रिट पिटीशन क्रमांक 290/2008 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/11/2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.10, सरमन लाल द्वारा कलेक्टर भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 27/05/2012 की मूलप्रति प्र.पी.11, न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 14/12-13/अ-12 सरमनलाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन की आदेश पत्रिका की नोटशीट दिनांक 06/11/2012, 28/02/2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.12, पंचनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.13, फील्ड बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.14 एवं अधीक्षक भू-अभिलेख भिण्ड द्वारा तहसीलदार गोहद को सर्वे क्रमांक 698 का सीमांकन प्रतिवेदन भेजने वावत् प्रेषित पत्र दिनांक : 10/12/2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.15 प्रस्तुत की है।

(09). वादी की ओर से प्रस्तुत विक्रेता जबर सिंह द्वारा सरमन लाल के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक : 25/04/1196 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रेता जबर सिंह पुत्र तुलसीराम द्वारा कस्बा गोहद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 698/01 क्षेत्रफल 0.334 आरे में से 0.013 आरे जिसकी पूर्व से पश्चिम लम्बाई 47 फुट एवं उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 30 फुट थी, जिसके पूर्व में 17 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम में राजाराम का मकान, उत्तर में विक्रेता जबर सिंह का खेत एवं दक्षिण में किन्हीं बघराई वालों का भू-खण्ड स्थित था, विक्रय किया गया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में वादी सरमन लाल के पुत्र आकाश वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उक्त विक्रय पत्र प्र.पी.03 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि उक्त विक्रय पत्र के माध्यम से सर्वे क्रमांक 697 से सटा हुआ भूमि-भाग ही विक्रय किया गया था। विक्रय पत्र प्र.पी.03 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसमें इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि विक्रीत भू-खण्ड की कोई भी भुजा सर्वे क्रमांक 697 से सटी हुई हो। आकाश वा.सा.01 ने यह भी दर्शित किया है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि उसके पिता सरमनलाल ने विक्रय पत्र प्र.पी.03 के निष्पादन के पूर्व कोई पैमाइश कराई थी, अथवा नहीं। साक्षी ने स्वतः कहा कि उस समय वह पैदा नहीं हुआ था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में आकाश वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि विक्रय पत्र प्र.पी.03 के माध्यम से विक्रीत भूमि का विक्रेता जबर सिंह एवं उसके अन्य सहस्वामियों के मध्य विक्रय के पूर्व कोई बंटवारा नहीं हुआ था। साक्षी ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि बिना सहस्वामियों के मध्य बंटवारा कराये जबर सिंह द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र प्र.पी.03 अवैध है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की ओर से यह दर्शित नहीं किया गया कि सर्वे क्रमांक 698/01 में विक्रय पत्र प्र.पी.03 के विक्रेता जबर सिंह के साथ अन्य कितने सहस्वामी थे। उल्लेखनीय यह भी है कि अन्य सहस्वामियों के अस्तित्व में होने के बाद भी एक सहस्वामी सहस्वामित्व की भूमि में से उसका हिस्सा विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होता है और उसके द्वारा निष्पादित किया गया विक्रय पत्र अवैध नहीं होता है और तत्पश्चात् क्रेता को यह अधिकार होता है कि वह अन्य सहस्वामियों के साथ अपने हिस्से का बंटवारा करा लें।

(10). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में वादी सरमन लाल के पुत्र आकाश वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि विक्रय पत्र प्र.पी.03 के माध्यम से उसके पिता को कोई विशिष्ट भू-भाग विक्रय नहीं किया गया था। उल्लेखनीय है कि विक्रय पत्र प्र.पी.03 में सर्वे क्रमांक 698/01 में से चतुर्सीमाएं अंकित कर विशिष्ट भू-भाग विक्रय किये जाने का उल्लेख है। साक्षी ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके पिता सरमनलाल ने सर्वे क्रमांक 697 के 23 गुणा 47 भू-भाग पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण की ओर से विक्रय पत्र प्र. पी.03 के सम्यक् निष्पादन एवं उक्त विक्रय पत्र प्र.पी.03 के माध्यम से वादी

सरमनलाल के कस्बा गोहद स्थित सर्वे क्रमांक 698/01 के 30 गुणा 47 फुट अर्थात् 1410 वर्गफुट भू-भाग पर स्वामी एवं आधिपत्यधारी होने के तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गई है, जिससे उक्त तथ्य पूर्णतः अखण्डित रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा यह दर्शित किया गया है कि वादी सरमनलाल ने प्र.पी.03 के माध्यम से कयशुदा भू-खण्ड पर निर्माण कार्य ना करके अवैध रूप से शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 697 स्थित कस्बा गोहद के 23 गुणा 47 फुट भाग पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर भवन निर्माण कर लिया था। जबकि वादी की ओर से प्रस्तुत अधीक्षक भू-अभिलेख भिण्ड द्वारा तहसीलदार गोहद को सर्वे क्रमांक 698 का सीमांकन प्रतिवेदन भेजने वावत् प्रेषित पत्र दिनांक : 10/12/2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.15 में अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वादी सरमनलाल का सम्पूर्ण मकान 30 गुणा 47 फुट अर्थात् 1410 वर्गफुट सर्वे क्रमांक 698 के भीतर बना हुआ था। उक्त दस्तावेज प्र.पी.15 को प्रतिवादीगण द्वारा उनके अभिवचनों अथवा साक्ष्य अथवा वादी साक्षियों के प्रति-परीक्षण के दौरान कोई चुनौती नहीं दी गई है और इस प्रकार उक्त दस्तावेज प्र.पी.15 अखण्डित रहा है, जिससे यह दर्शित होता है कि मृत वादी सरमनलाल का भवन सर्वे क्रमांक 697 में स्थित नहीं था और उसके द्वारा सर्वे क्रमांक 697 के किसी भी भाग पर अतिक्रमण नहीं किया गया था।

(11). प्रतिवादीगण को यदि इस वावत् कोई शंका थी कि वादी सरमनलाल ने उसके द्वारा कयशुदा सर्वे क्रमांक 698/01 के भू-खण्ड पर मकान निर्मित ना करके शासकीय सर्वे क्रमांक 697 में मकान निर्मित कर लिया है, तो उन्हें इस वावत् वादी की ओर से प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 1690/2008 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक : 10/11/2009 के अनुपालन में सर्वे क्रमांक 697 एवं सर्वे क्रमांक 698 दोनों का सीमांकन कराना चाहिए था, परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह दर्शित होता हो कि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के पालन में सर्वे क्रमांक 697 एवं सर्वे क्रमांक 698 का एक साथ कोई सीमांकन कराया गया हो, जिसमें यह पाया हो कि मृत वादी सरमनलाल का मकान शासकीय सर्वे क्रमांक 697 में अतिक्रमण कर निर्मित किया गया था। बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा इस वावत् प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक : 26/04/2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.05 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसके माध्यम से प्रतिवादीगण द्वारा मात्र सर्वे क्रमांक 697 का सीमांकन किया गया था, ना कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सर्वे क्रमांक 697 एवं 698 दोनों का एक साथ। उक्त सीमांकन प्रतिवेदन प्र.डी.05 के संबंध में राजस्व निरीक्षक वृत्त गोहद एस.एस.प्रजापति प्रति.सा.01 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में कहना है कि उनके द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन प्र.डी.05 पढ़ा नहीं गया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में एस.एस.प्रजापति प्रति.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि वह सर्वे क्रमांक 697 के सीमांकन के लिए तहसीलदार गोहद द्वारा बनाई गई टीम में शामिल

नहीं था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में एस.एस.प्रजापति प्रति.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि सीमांकन प्रतिवेदन प्र.डी.05 में इस तथ्य का उल्लेख है, अथवा नहीं कि सर्वे क्रमांक 697 से कौन-कौन से सर्वे क्रमांक जुड़े हुये हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत एक मात्र साक्षी राजस्व निरीक्षक एस.एस.प्रजापति प्रति.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि वह सीमांकन प्रतिवेदन : 26/04/2012 प्र.डी.05 के तथ्यों से वाकिफ नहीं है और उसे उक्त प्रतिवेदन से संबंधित सीमांकन के तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है।

(12). उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत सर्वे क्रमांक 697 के दिनांक : 25/04/2012 को किये गये सीमांकन के पंचनामा प्र.डी.06 पर मृत वादी सरमनलाल के कोई हस्ताक्षर नहीं है, जिससे यह दर्शित होता है कि उक्त सीमांकन वादी सरमनलाल की अनुपस्थिति में किया गया था। प्रतिवादीगण की ओर से वादी सरमनलाल को दिये गये ऐसे किसी भी नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके माध्यम से सरमनलाल को दिनांक : 25/04/2012 को किये गये सर्वे क्रमांक 697 के सीमांकन में उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया हो। उल्लेखनीय यह भी है कि जब प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि वादी सरमनलाल अवैध रूप से शासकीय सर्वे क्रमांक 697 पर अतिक्रमण किये हुये था, तो प्रतिवादीगण का यह कर्तव्य था कि वह दिनांक : 25/04/2012 के सीमांकन के पूर्व वादी सरमनलाल को इस वावत् सूचित करते। इसलिए दिनांक : 25/04/2012 को वादी सरमनलाल की अनुपस्थिति में किया गया सर्वे क्रमांक 697 का सीमांकन और इस वावत् दिनांक : 26/04/2012 को दिया गया सीमांकन प्रतिवेदन प्र.डी.05 विधि की दृष्टि में कोई बल नहीं रखता है। इस प्रकार सीमांकन प्रतिवेदन प्र.डी.05 एवं एस.एस.प्रजापति प्रति.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से सीमांकन दिनांक : 25/04/2012 विधिपूर्वक किया गया होना प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपर तहसीलदार परगना-गोहद द्वारा एसडीओ गोहद को प्रेषित पत्र दिनांक : 11/05/2012 की मूल प्रति प्र.डी.08 में इस तथ्य का उल्लेख है कि न्यायालय भवन की भूमि सर्वे क्रमांक 697 क्षेत्रफल 0.26 हैक्टेयर में वादी सरमनलाल सहित 13 अतिक्रामकों में से 12 अतिक्रामकों का अतिक्रमण मौके से हटा दिया गया है। वादी सरमनलाल का माननीय उच्च न्यायालय खण्ड-पीठ ग्वालियर से स्थगन होने से अतिक्रमण हटाना शेष है। परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, कि जब दिनांक : 11/05/2012 तक माननीय उच्च न्यायालय के किसी स्थगन आदेश के पालन में वादी सरमनलाल का कथित अवैध कब्जा सर्वे क्रमांक 697 से नहीं हटाया गया, तब दिनांक : 26/05/2012 को ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि जिसके कारण वादी का भवन तोड़ दिया गया। इस प्रकार इस वावत् प्रतिवादी साक्ष्य संदेहपूर्ण एवं भ्रामक है।

(13). इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी यह प्रमाणित करने में सफल रहा हैं कि मृत वादी सरमनलाल सर्वे क्रमांक 698/01 स्थित बिहारी नगर पंचमपुरा वार्ड क्रमांक 02 गोहद स्थित वादग्रस्त भू-खण्ड 47 गुणा 30 अर्थात् 1410 वर्गफुट पर स्थित भवन का स्वामी एवं आधिपत्यधारी था। फलतः इस वाद प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक :- 02 एवं 05

(14). साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से, एक-दूसरे से सहसंबंधित होने के कारण एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए वाद प्रश्न क्रमांक 02 एवं 05 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

(15). वादी सरमनलाल के पुत्र आकाश वा.सा.01 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके पिता सरमनलाल ने सर्वे क्रमांक 697 के 23 गुणा 47 फुट भू-भाग पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसे शासन द्वारा विधिवत् अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उल्लेखनीय है कि वादी की ओर से प्रस्तुत अधीक्षक भू-अभिलेख भिण्ड द्वारा तहसीलदार गोहद को सर्वे क्रमांक 698 का सीमांकन प्रतिवेदन भेजने वावत् प्रेषित पत्र दिनांक : 10/12/2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.15 में अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वादी सरमनलाल का सम्पूर्ण मकान 30 गुणा 47 फुट अर्थात् 1410 वर्गफुट सर्वे क्रमांक 698 के भीतर बना हुआ था। उक्त दस्तावेज प्र.पी.15 को प्रतिवादीगण द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है और इस प्रकार उक्त दस्तावेज प्र.पी.15 अखण्डित रहा है, जिससे यह दर्शित होता है कि मृत वादी सरमनलाल का भवन सर्वे क्रमांक 697 में स्थित नहीं था और उसके द्वारा सर्वे क्रमांक 697 के किसी भी भाग पर अतिक्रमण नहीं किया गया था। फलतः प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक : 26/05/2012 को वादी सरमनलाल के सर्वे क्रमांक 698/01 में स्थित भवन को सर्वे क्रमांक 697 में अतिक्रमण कर बनाया गया होना दर्शित करते हुये प्रतिवादीगण द्वारा तोड़ दिया जाना पूर्णतः अनाधिकारपूर्ण एवं अवैधानिक था और इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भवन को तोड़कर वादग्रस्त भवन में निहित वादी के विधिक अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया गया। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक 02 एवं 05 का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 03

(16). वाद प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 की विवेचना एवं निष्कर्ष के अनुसार मृत वादी सरमनलाल को वादग्रस्त भू-खण्ड एवं उस पर निर्मित भवन का स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना प्रमाणित गया है और प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक : 26/05/2012 को उक्त वादग्रस्त भवन को तोड़ दिये जाने को

अवैध रूप से तोड़ा जाना प्रमाणित गया है। वादी की ओर से यह अभिवचन किया गया और इस वावत् मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं कि उक्त वादग्रस्त भवन तोड़े जाने से वादी को 02 लाख 35 हजार रुपये की क्षति कारित हुई। मृत वादी सरमनलाल के पुत्र आकाश वा.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वादग्रस्त भवन तोड़े जाने से उसके पिता को 02 लाख 35 हजार रुपये की कोई हानि नहीं हुई। इस प्रकार इस वावत् आकाश वा.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरान्त भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। उल्लेखनीय है कि 47 गुणा 30 अर्थात् 1410 वर्गफुट भू-खण्ड पर निर्मित भवन को तोड़ दिये जाने पर प्रतिवर्ग फुट लगभग 166.66 रुपये अर्थात् 02 लाख 35 हजार रुपये की अपहानि कारित होना वर्तमान मंहगाई के युग में संभाव्यताओं की प्रबलता के सिद्धान्त के आधार पर संभव होना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त वादग्रस्त भवन तोड़े जाने से वादी को 02 लाख 35 हजार रुपये की अपहानि कारित हुई थी। फलतः इस वाद प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष "प्रमाणित" के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 04

(17). चूँकि वाद प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 की विवेचना एवं निष्कर्ष के अनुसार मृत वादी सरमनलाल को वादग्रस्त भू-खण्ड एवं उस पर निर्मित भवन का स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना प्रमाणित गया है और प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक : 26/05/2012 को उक्त वादग्रस्त भवन को तोड़ दिये जाने को अवैध रूप से तोड़ा जाना प्रमाणित गया है। इसलिए राजस्व न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 393/10-11/अ-68 में पारित निष्कासन आदेश एवं सीमांकन रिपोर्ट अवैध होने के कारण शून्य है। फलतः इस वाद प्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष "प्रमाणित" के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 06

(18). हस्तगत वाद स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भवन को दिनांक : 26/05/2012 को तोड़ दिये जाने से हुई अपहानि के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने एवं न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 393/10-11/अ-68 में पारित आदेश दिनांक :- 31/10/2011, निष्कासन आदेश दिनांक : 12/04/2012, सीमांकन रिपोर्ट दिनांक : 26/04/2012 एवं 10/05/2012 को शून्य घोषित कराये जाने के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है। स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के वाद में वाद मूल्यांकन का सिद्धान्त धारा - 7 (IV) c न्यायालय शुल्क अधिनियम में उपबंधित है जिसके अनुसार वादी को उसके द्वारा चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता है तथा उसे किये गये मूल्यांकन पर

मूल्यानुसार न्याय शुल्क अदा करना होता है। वादी द्वारा अनुतोष का मूल्यांकन 2,35,900/- निर्धारित किया गया है तथा मूल्यानुसार मात्र 600/- रुपये का न्यायशुल्क अदा किया गया है, जो की पर्याप्त प्रतीत नहीं होता, बल्कि वादी को मूल्यानुसार 28,308/- रुपये न्यायशुल्क अदा करना चाहिए था। इस प्रकार उसके द्वारा 27,708/- रुपये कम न्यायशुल्क अदा किया गया। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष "मूल्यांकन समुचित परन्तु न्यायशुल्क अपर्याप्त" के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 07

(19). इस वाद प्रश्न के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा स्वयं को वादग्रस्त भू-खण्ड का आधिपत्यधारी होना दर्शित करते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उसे आधिपत्य वापसी की सहायता मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः वादी द्वारा कब्जा वापसी की सहायता न चाहे जाने के कारण उसका वाद अप्रचलनीय नहीं है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष "अप्रमाणित" के रूप में दिया जाता है।

{ अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय }

(20). उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि मृत वादी सरमनलाल उसका वाद प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः उसका वाद अग्रानुसार आज्ञाप्त किया जाता है :-

(01). यह घोषित किया जाता है कि मृत वादी सरमनलाल सर्वे क्रमांक 698/01 स्थित बिहारी नगर पंचमपुरा वार्ड क्रमांक 02 गोहद स्थित वादग्रस्त भू-खण्ड 47 गुणा 30 अर्थात् 1410 वर्गफुट पर स्थित भवन का स्वामी एवं आधिपत्यधारी था।

(02). उक्त वादग्रस्त दिनांक : 26/05/2012 को प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से तोड़ दिये जाने के कारण वादी को 02 लाख 35 हजार रुपये की अपहानि कारित हुई थी। प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि मृत वादी सरमन लाल के वैध उत्तराधिकारियों को उक्त अपहानि की राशि 02 लाख 35 हजार रुपये उक्त भवन अवैध रूप से तोड़े जाने के दिनांक : 26/05/2012 से वास्तविक अदायगी दिनांक तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रदान करें।

- (03). प्रतिवादीगण को स्थाई रूप से निषेधित किया जाता है कि वह भविष्य में वादग्रस्त भू-खण्ड में निहित मृत वादी सरमनलाल के वैध उत्तराधिकारियों के विधिक अधिकारों में कोई अवैध हस्तक्षेप ना तो स्वयं करें, ना किसी अन्य से करायें।
- (04). राजस्व न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 393/10-11/अ-68 में मृत वादी सरमनलाल के विरुद्ध पारित निष्कासन आदेश एवं किये गये सीमांकन की रिपोर्ट्स अवैध होने के कारण शून्य है।
- (05). यह आज्ञाप्ति मृत वादी सरमनलाल के वैध उत्तराधिकारियों द्वारा शेष न्यायशुल्क 27,708/- रुपये अदा कर दिये जाने के पश्चात् ही निष्पादन योग्य होगी।
- (06). प्रतिवादीगण स्वयं के साथ-साथ वादी का भी वाद-व्यय वहन करेंगे।
- (07). अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।
- (08). तदनुसार जय पत्र बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया।

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.